मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांकः 31.10.2022

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 20 हजार रू0 का अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा —

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा ’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई , जिसके फलस्वरूप हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹ 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

घटना का संक्षिप्त विवरण —

दिनांकः 02.12.2010 को थाना चुनार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सहसपुरा परसोधा निवासी वादी रविन्द्र नाथ पाण्डेय पुत्र स्व0 आदित्य नारायण द्वारा नामजद अभियुक्तों राम प्रसाद यादव उर्फ शिव प्रसाद पुत्र सूरत राम यादव निवासी रेवतीपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर के विरूद्ध अपने (वादी के) छोटे भाई की मारपीट कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना चुनार पर मु0अ0सं0-1059/2010 धारा 323/342/302/394 भादवि पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा ’ द्वारा उक्त अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना चुनार पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय ASJ/FTC -II, मीरजापुर द्वारा उपरोक्त अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹ 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

1. राम प्रसाद यादव उर्फ शिव प्रसाद पुत्र सूरत राम निवासी रेवतीपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर ।